



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्यूड, (टिहरी गढवाल)/
E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com Phone & Fax:- 01376-246321



पत्रांक 2796 / 21 सी०
सेवा में,

दिनांक 21/12/2018

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वनप्रभाग मसूरी।

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिंगालगढ से दडक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 3.00 किमी०) के निर्माण हेतु वांछित 2.295 है० वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि०, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
प्रस्ताव सं० (FP/UK/RAOD/13390/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, की पत्रांक सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०६/१०२/२०१८/एफ०सी०/१५६७, दिनांक ३०.१०.२०१८ एवं आपका पत्रांक १४११/१२-१, दिनांक मसूरी ०३.११.२०१८।

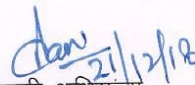
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उपरोक्त विषयकित मोटर मार्ग मार्ग के क्रम में अवगत कराना है कि रिंगालगढ से दडक मोटर मार्ग **FP/UK/ROAD/13390/2015** के द्वारा फाईल ऑनलाईन की गयी थी, जिसमें उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा दिनांक ०३.११.२०१८ के पत्र में जो कमियां पायी गयी थी, उनका बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है:-

s.no	Objection	Objection Removal answer
1	Density mentioned in part II is 0.2 and NPV calculate for eco class V but NPV calculation sheet density mentioned is 0.4 and rate changed for open forest which does not appear to be correct. Eco class appears to be VI.	The objections related to this point is not concern to this office.
2	SoI toposheet of CA area is not C/S by DFO.	The objections related to this point is not concern to this office.
3	Ca scheme is submitted in hard copy for Rs. 1046830 however CA scheme uploaded online for Rs. 1266660/-.	The objections related to this point is not concern to this office.
4	CA site suitability certificate not found uploaded.	The objections related to this point is not concern to this office.
5	Following documents have not been found uploaded in web portal. a. Bar Chart b. Part V c. Authority letter d. Detailed note of project.	The related objections have been removed and uploaded in part I.

6	Sketchy muck disposal plan is uploaded and calculation of muck is also incorrect.	Sketch of muck disposal plan is uploaded and calculation is also corrected and uploaded.
7	District Profile seems incorrect.	The objections related to this point is not concern to this office..
8	In place of details of person submitting application at A3, Designation is given.	Authority letter is reuploaded by mentioning the name of applicant.
9	From the KML file of the area proposed for diversion, it appears that a lot of non forest land is available from which connectivity can be provided to the village, but this aspect has not been explored.	The proposed alignment of motor road is shortest in length and it will affect minimum trees in forest land, If we move on other aspects for this road, length of road will increases and it will damaged maximum parts of forest land and many trees will get affected.
10	In FRA certificate, 0.09 ha of van panchayat land is shown to be affected while it is not mentioned in legal status at para 2 part II online.	The objections related to this point will be removed by D.F.O. office.
11	Distance from protected area is not mentioned.	The objections related to this point is not concern to this office.
12	State Govt. has uploaded ANR details to be carried out.	The objections related to this point is not concern to this office.

संलग्न:- उपरोक्तानुसार तीन तीन प्रतियो में।


 अधिशासी अभियन्ता
 अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
 थत्यूड (टिहरी
 गढ़वाल)।

पत्रांक

/21 सी0

दिनांक / /2018

प्रतिलिपि :-1. सहायक अभियन्ता (चतुर्थ), अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ प्रेषित।

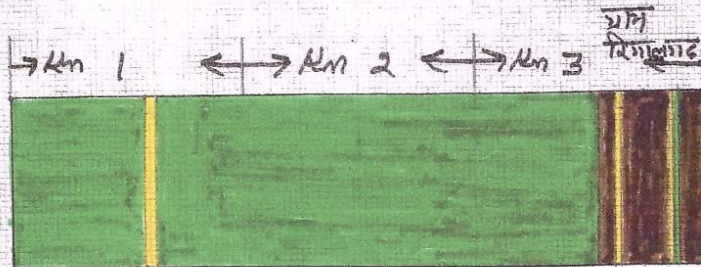
2. श्री अनुराग त्रिपाठी कनिष्ठ अभियन्ता, /खण्डीय अमीन, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
 अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
 थत्यूड (टिहरी गढ़वाल)।

परिचालना का नाम — रिजाल गढ़ से ६० दड़क मोटर मार्ग
का नक्का निर्माण ल० ३ किमी०

भूमी का बार-चार्ट

पैमाना - २ सेंटीमी = ५०० मी०



ज० ३२५ + ५० + २१०० + १०० + २५ × २३५ + २५ + २५ + १२५ = ३००० मी०

संकेत

आ० व० भू०	Green
मिनि भू०	Yellow
नाप भू०	Brown

[Signature]
ज० खण्ड लो० नि० वि०
पत्तुड (दि० ग०)

[Signature]
नपर आभयन्ता
ज० खण्ड लो० नि० वि०
पत्तुड (दि० ग०)

[Signature]
बहायक आभयन्ता
ज० खण्ड लो० नि० वि०
पत्तुड (दि० ग०)

[Signature]
आभयन्ता आभयन्ता
ज० खण्ड लो० नि० वि०
पत्तुड (दि० ग०)

[Signature]
राजस्व उपानसलक
मुत्सी
मन्सील-धनोली, (दि० ग०)

[Signature]
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

[Signature]
ज० प० (रिजाल गढ़)
वन क्षेत्राधिकारी

[Signature]
तहसीलदार
धनोली
बिहरी गढवाल

[Signature]
उप निरीक्षक
मसूरी वन प्रभाग

[Signature]
रिजाल गढ़
मसूरी वन प्रभाग

[Signature]
प्रशासक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रारूप-1

EE PWD THATYUR TEHERI GARHWAL hereby authorized to
upload the Land Transfer Proposal regarding forest clearance of the
Ty Division Pwd Thatyur Tehri Garhwal (agency name) on the
Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the
Executive Engineer.

(Head of the Institution name/designation)


(EE PWD THATYUR)


Signature
Name and seal of the
Authority

JUSTIFICATION

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लोक के अन्तर्गत आर0के0के0 मोटर मार्ग के कि0मी0 46 से प्रारम्भ होकर ग्राम रिंगालगढ़ व दड़क मोटर मार्ग का निर्माण।

उक्त मोटर मार्ग आर0के0के0 मोटर मार्ग के कि0मी0 46 से प्रारम्भ होकर ग्राम रिंगालगढ़ व दड़क को जोड़ता है, जसकी कुल जनसंख्या 934 है, तथा ग्राम रिंगालगढ़ व दड़क में उगने वाली नगदी फसलें आलू, मटर, बीन, राजमा, अदरक, अरबी, दाल, मक्का, मूली, गाजर, गोभी, माल्टा, टमाटर, नीबू आदि को मुख्य बाजार तक ले जाने के लिये सुविधा मिलेगी।

उक्त मोटर मार्ग के मुख्य बाजार के जुड़ने से वहाँ के कास्तकारों को तथा स्थानीय लोगों को यातायात की सुविधा के साथ-साथ मुख्य बाजार के जुड़ने से भी आम जनता को अत्यधिक लाभ होगा इसके अलावा रिंगालगढ़ व दड़क के ग्रामवासियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की तुरन्त सुविधा मिलेगी तथा ग्राम रिंगालगढ़ व दड़क के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु इस मार्ग के बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा व्यापार भी बढ़ेगा। सड़क निर्माण के दौरान स्थानीय गरीब मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा, जिससे स्थानीय कामगारों को भी लाभ के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

मोटर मार्ग निर्माण से स्थानीय जनता का ग्राम रिंगालगढ़ व दड़क में आवागमन बढ़ेगा, जिससे स्थानीय संस्कृति का आदान-प्रदान होने से स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा तथा जिससे स्थानीय लोगों का उत्थान होगा।

अतः उक्त मोटर मार्ग का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।


सहायक अभियन्ता

अ0ख0, लो0नि0वि0

थत्पूड।


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


अधिशाली अभियन्ता

अ0ख0, लो0नि0वि0

थत्पूड।

JUSTIFICATION

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लोक के अन्तर्गत आर0के0के0 मोटर मार्ग के कि0मी0 46 से प्रारम्भ होकर ग्राम रिंगालगढ़ व दड़क मोटर मार्ग का निर्माण।

उक्त मोटर मार्ग आर0के0के0 मोटर मार्ग के कि0मी0 46 से प्रारम्भ होकर ग्राम रिंगालगढ़ व दड़क को जोड़ता है, जसकी कुल जनसंख्या 934 है, तथा ग्राम रिंगालगढ़ व दड़क में उगने वाली नगदी फसलें आलू, मटर, बीन, राजमा, अदरक, अरबी, दाल, मक्का, मूली, गाजर, गोभी, माल्टा, टमाटर, नीबू आदि को मुख्य बाजार तक ले जाने के लिये सुविधा मिलेगी।

उक्त मोटर मार्ग के मुख्य बाजार के जुड़ने से वहाँ के कास्तकारों को तथा स्थानीय लोगों को यातायात की सुविधा के साथ-साथ मुख्य बाजार के जुड़ने से भी आम जनता को अत्यधिक लाभ होगा इसके अलावा रिंगालगढ़ व दड़क के ग्रामवासियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की तुरन्त सुविधा मिलेगी तथा ग्राम रिंगालगढ़ व दड़क के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु इस मार्ग के बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा व्यापार भी बढ़ेगा। सड़क निर्माण के दौरान स्थानीय गरीब मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा, जिससे स्थानीय कामगारों को भी लाभ के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

मोटर मार्ग निर्माण से स्थानीय जनता का ग्राम रिंगालगढ़ व दड़क में आवागमन बढ़ेगा, जिससे स्थानीय संस्कृति का आदान-प्रदान होने से स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा तथा जिससे स्थानीय लोगों का उत्थान होगा।

अतः उक्त मोटर मार्ग का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

सहायक अभियन्ता

अ0ख0, लो0नि0वि0

थत्पूड।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

अधिरासी अभियन्ता

अ0ख0, लो0नि0वि0

थत्पूड।

भाग—V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17.	राज्य सरकार की सिफारिश: (उपर्युक्त भाग—II या भाग—III या भाग—IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	
-----	--	--

तिथि :
स्थान :

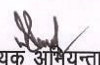
हस्ताक्षर:
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रारूप - 49.1

मलवे के निस्तारण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोली विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिगांगलढ से दडक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई कि०मी० 3.00)

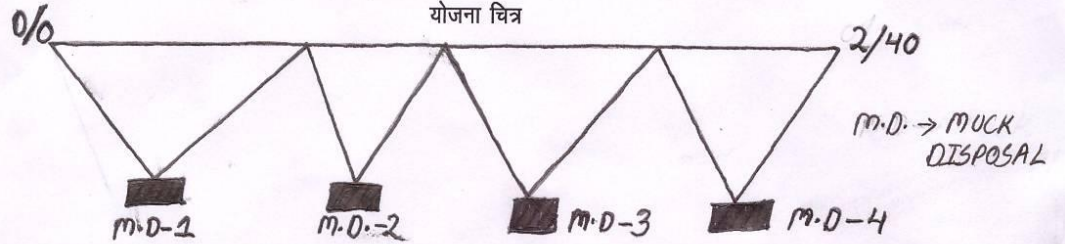
प्रामाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से उत्पन्न होने वाले मलवे के अधिकांश भाग का उपयोग मार्ग निर्माण में ही कर लिया जायेगा, एवं अवशेष मलवे का निस्तारण नाप भूमि में डाल कर किया जायेगा व आरक्षित भूमि की उस भाग में डाला जायेगा जहां वन सम्पदा को कोई हानि नहीं होगी मक डिस्पोजल प्लान हेतु ग्राम रिगांगलढ नाप भूमि में प्रास्तावित है जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित संलग्न है जो कि क्षेत्रीय राजस्व सत्यापित कर दिया गया है।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
थत्पूड।


(इ० रजनीश कुमार)
अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
थत्पूड।

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोली विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिगांलगढ से दडक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई कि०मी० 3.00)

परियोजना से उत्पादित मलवे के निस्तारण का समानचित्र



क०सं०	कार्य की मद	मात्रा
	कुल उत्पादित मलवे की मात्रा।	
	कि०मी० 0 से 3 - $1 \times 1/2 \times 3000 \times 6.00 \times 5.00 =$	45000.00 CUM
	प्रयुक्त किये मलवे की मात्रा	
	50% use in R/W and S/C =	22500.00 CUM
	20% use in Ballast + earth =	9000.00 CUM
	अतः निस्तारित किये जाने वाले मलवे की मात्रा =	13500.00 CUM

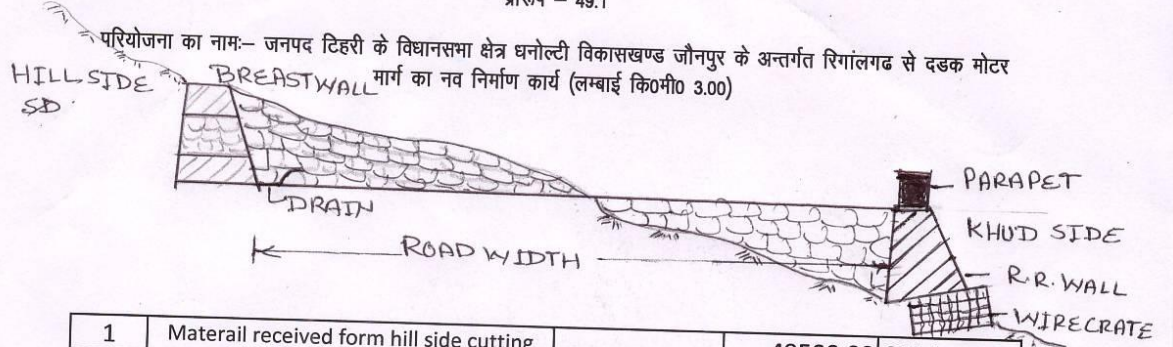
- नोट:-
- उपरोक्त मोटर मार्ग के पहाड कटान द्वारा उत्पादित मलवे के निस्तारण पर होने वाले व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
 - उपरोक्त मोटर मार्ग के पहाड कटान द्वारा उत्पादित मलवे का निस्तारण निजी नाप भूमि के उस भाग पर डाला जायेगा जहां वन सम्पदा को कोई हानि नहीं होगी।
 - उपरोक्त मोटर मार्ग के पहाड कटान द्वारा उत्पादित मलवे के निस्तारण हेतु अर्जित की जाने वाली निजी नाप भूमि का प्रतिकर ला०नि०वि०, द्वारा काश्तकारों को दिया जायेगा।
 - निजी नाप भूमि का प्रतिकर ला०नि०वि०, द्वारा काश्तकारों को 7.00 मीटर चौड़ाई में दिया जायेगा। जिसमें 6.00 मीटर चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण की जायेगी। शेष 1.00 मीटर चौड़ाई में मलवा डाल दिया जायेगा।

Anurag
J.E

Shankar
A.E

Shankar
E.E

प्रारूप - 49.1



1	Materail received form hill side cutting		49500.00	CUM
	$1 \times 1/2 \times 3000 \times 6.00 \times 5.00 =$	45000.00	CUM	
	Add 10% for Swell factor for soil =	4500.00	CUM	
	total	49500.00	CUM	
	Disposal and use of materail			
2	RR Stone masonry laid in 1:6	$1 \times 1 \times 800 \times (0.60 + 1.60) / 2 \times 4$	3520.00	
3	RR Stone masonry laid in Dry	$1 \times 1 \times 12000 \times (0.60 + 0.90) / 2 \times 2$	1800.00	
4	hand packed stone filling	$1 \times 1 \times 2000 \times 0.6$	1200.00	
5	construction of wire crate	$1 \times 1 \times 600 \times 6.75$	5400.00	
6	material used for Filling and grade maintaining	25 % of cutting material	12375.00	
7	Job pillar, Back Pillars, refrence pillars	$2 \times 120 \times 0.6 \times 0.6 \times 0.6$	51.84	
8	construction of scupper	$1 \times 2 \times 61 \times 16.80$	2049.60	
9	construction of parapet	$1 \times 1 \times 260 \times 0.73$	189.8	
10	G.S.B./ surface and WBM	$1 \times 1 \times 3000 \times 4.10 \times 0.4$	4920	
	Total used		31506.24	
	Material disposed by cartrage		17993.76	

Summary of Debris Disposal

S.No.	Total Debris	Material Disposed by cartrage	Required material for road Construction	Total disposal in dumping Zone	Balance Debris
1	49500.00	17993.76	31506.24	17993.76	0.00

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
थत्पूड।

(ई० रजनीश कुमार)
अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
थत्पूड।

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोली विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिगालगढ से दड़क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई कि०मी० 3.00)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोली विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिगालगढ से दड़क मोटर मार्ग निर्माण हेतु मेरी भूमि प्रस्तावित की गयी है। उक्त प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मैं उसे विभागीय दरों पर अपने नाप भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को तैयार हूँ इससे मेरे सह खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई किसी प्रकार की आपत्ति करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

ग्राम-रिगालगढ

क्र०सं०	काश्तकार का नाम	खाता नं०	खसरा नं०	क्षेत्रफल है० में	अर्जित क्षेत्रफल है० में
1	श्री गुलाब सिंह पुत्र तारा सिंह बबेन्द्र सिंह देवी रविन्द्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह सोबनी देवी पत्नी जयपाल सिंह	9	3288,3289,3 296,3297,32 98,3299	0.315	0.315

ह० भूमिधर गुलाब सिंह, बबेन्द्र, सोबनी ह० राजस्व विभाग
नाम - नाम पत्र एवं मुहर सहित
ग्राम -



वातेदार सत्यापित
14/12/18
राजस्व उपनिरीक्षक
मुहर
जौनपुर जिला-उत्तर प्रदेश (टिहरी)

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोली विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिगालगढ से दड़क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई कि०मी० 3.00)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोली विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिगालगढ से दड़क मोटर मार्ग निर्माण हेतु मेरी भूमि प्रस्तावित की गयी है। सक्त प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मैं उसे विभागीय दरों पर अपने नाप भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को तैयार हूँ इससे मेरे सह खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई किसी प्रकार की आपत्ति करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी

गाम - रिगालगढ

क्र०सं०	काश्तकार का नाम	खाता नं०	खसरा नं०	क्षेत्रफल है० में	अर्जित क्षेत्रफल है० में
1	श्री चन्दन सिंह पुत्र भीम सिंह, गुलाब सिंह कुन्दन सिंह पुत्र सुक्का सिंह, इन्द्र सिंह, जयपाल सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र धूम सिंह दलेब सिंह हुकम सिंह सोबन सिंह बसन्त सिंह प्रीतम सिंह भोला सिंह पुत्र प्रेम सिंह अमरी देवी पत्नी प्रेम सिंह	14	3363, 3364, 3365	0.071	0.071

ह० भूमिधर
नाम -
ग्राम -

गाम -



गुलाब सिंह

अमरी देवी

ह० राजस्व विभाग
नाम पद एवं मुहर सहित

होतेका सत्यापित
निये
14-12-18

राजस्व उपनिरीक्षक
भुवनेश्वर
धनोली-धनोली, (टि०ग०)

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनौली विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिगालगढ से दडक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई कि०मी० 3.00)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनौली विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिगालगढ से दडक मोटर मार्ग निर्माण हेतु मेरी भूमि प्रस्तावित की गयी है। उक्त प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मैं उसे विभागीय दरों पर अपने नाप भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को तैयार हूँ इससे मेरे सह खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई किसी प्रकार की आपत्ति करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी

ग्राम-रिगालगढ

क्र०सं०	काश्तकार का नाम	खाता नं०	खसरा नं०	क्षेत्रफल है० में	आर्जित क्षेत्रफल है० में
1	श्री दर्शन सिंह, धन सिंह, रे सिंह, जै सिंह पुत्र श्याम सिंह	23	3357,3358,3 359,3362	0.068	0.068

ह० भूमिधर
नाम -
ग्राम -

दर्शन सिंह धन सिंह रे सिंह जै सिंह

ह० राजस्व विभाग
नाम पद एवं मुहर सहित

रिगालगढ सत्यापित
किये जाये है



14-12-18

राजस्व सपानिरीक्षक
मुल्तानी
ज्योत्सना-धनौली (टि०ग०)

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोली विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई कि०मी० 3.00)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोली विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग निर्माण हेतु मेरी भूमि प्रस्तावित की गयी है। उक्त प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मैं उसे विभागीय दरों पर अपने नाम भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को तैयार हूँ इससे मेरे सह खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई किसी प्रकार की आपत्ति करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी

ग्राम - रिगालगढ़

क्र०सं०	काश्तकार का नाम	खाता नं०	खसरा नं०	क्षेत्रफल है० में	आर्जित क्षेत्रफल है० में
1	श्री सूर्य सिंह पुत्र दुर्गा, बेताल सिंह पुत्र मातबर सिंह, सुन्दर सिंह गोविन्द सिंह पुत्र केदार सिंह, कुन्दन देई पत्नी केदार सिंह	45	3454,3456, 3457,3458	0.095	0.095

ह० भूमिधर
नाम
ग्राम -

उत्तराखण्ड
जिला

जिला

ह० राजस्व विभाग
नाम पर एवं मुहर सहित

वकील दा
ह०

14-12-18

राजस्व उपनिरीक्षक
मुल्सी
धनोली-धनोली (टि० ग०)



परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोली विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिगालगढ से दडक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई कि०मी० 3.00)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोली विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिगालगढ से दडक मोटर मार्ग निर्माण हेतु मेरी भूमि प्रस्तावित की गयी है। उक्त प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मैं उसे दिभागीय दरों पर अपने नाप भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को तैयार हूँ इससे मेरे सह खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई किसी प्रकार की आपत्ति करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी

ग्राम - रिगालगढ

क्र०सं 0	काश्तकार का नाम	खाता नं०	खसरा नं०	क्षेत्रफल है० में	अर्जित क्षेत्रफल है० में
1	श्री रोशनी देवी पत्नी कुन्दन सिंह पंवार सा० रिगालगढ	44	2961,2962,2 967,2968	0.145	0.145

ह० भूमिधर
नाम - रोशनी देवी
ग्राम - रिगालगढ



ह० राजस्व विभाग
नाम पद एवं मुहर सहित

रुवातेदारे का सुमापन
लिपा गया है

14-12-18

राजस्व उपनिरीक्षक
मुल्सी

मुख्यालय-धनोली (रिगालगढ)

प्रारूप

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोल्दी विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रिगांलगढ से दडक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई कि०मी० 3.00)

समझौता ज्ञापन (ग्राम रिगांलगढ)

यह समझौता ज्ञापन प्रथम पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, थत्पूड (प्रयोग एजेन्सी/कार्यदायी संस्था)

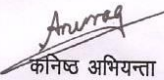
तथा

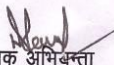
द्वितीय पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी रिगांलगढ दडक मोटर मार्ग का निर्माण के लिये उपयोग में लायी जानी है के बीच

आज वर्ष 2018 के 12 महीने की 12 तारीख को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गयी है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
 2. यह सहमति हो गयी है कि भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रयोग में लायी जानी है। उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा, तथा भूमि हस्तान्तरण राज्यपाल उत्तराखण्ड द्वारा लोक निर्माण विभाग थत्पूड के नाम किया जायेगा।
 3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निस्तारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अभिलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लेखित तारीख माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मुहर लगायी है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार:-


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
थत्पूड।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
थत्पूड।


अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
थत्पूड।

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार:-

पौशनी देवी
हीरा सिंह
सुन्दर सिंह
केसव सिंह
गोविन्द
वसुधा सिंह
धन सिंह
रोहित
जोहिन
गुलाब सिंह
सोपन सिंह
गुलाब सिंह
वैकुण्ठ
सोवनी